

जिला सिरमौर में पटवारी-प्रशिक्षणार्थियों के चयन हेतु लिखित प्रवेश-परीक्षा (26.02.2012) हेतु आवेदन-पत्र।

भाग- क

सेवा में,

समाहर्ता एवं उपायुक्त,

जिला सिरमौर स्थित नाहन, पिन-173 001.

विषय: जिला सिरमौर में पटवारी-प्रशिक्षणार्थी के चयन हेतु प्रार्थनापत्र।

आवेदक का आवश्यक विवरण एवं पात्रताएं:

1. आवेदक का नाम (हिन्दी व अंग्रेजी):

2. पिता का नाम (हिन्दी व अंग्रेजी):

3. माता का नाम (हिन्दी व अंग्रेजी):

4. घर (जिला सिरमौर, हि.प्र.) का स्थाई पता:

5. पत्राचार का पता:

6. पुरुष/महिला:

7. जन्म-तिथि (दसवीं के प्रमाणपत्र के अनुरूप):

(आयु 01.01.2012 को 18 से 38 वर्ष)

8. आवेदक की जाति (SC./ ST./OBC/Others.):

9. उपवर्ग (आई.आर.डी.पी., स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित):

10. शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त संस्थान से (दस जमा दो या अधिक):

11. परीक्षा-शुल्क हेतु बैंक-ड्राफ्ट की संख्या-

तिथि-

राशि-₹

बैंक का नाम-

(सामान्य वर्ग हेतु ₹200 तथा

आरक्षित वर्गों हेतु ₹100, जो जिला राजस्व अधिकारी, जिला सिरमौर, नाहन के पक्ष में देय हो)।

12. यदि आवेदक रोजगार-कार्यालय में पंजीकृत है तो उसकी संख्या व तिथि:

घोषणा

मैं, उपर्युक्त आवेदक विधिवत रूप से पुष्टि एवं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे इस आवेदन में दी गई समस्त सूचनाएं सत्य और सही हैं तथा कुछ भी छुपाया नहीं गया है। यदि किसी समय उपर्युक्त जानकारी व सूचना गलत अथवा झूठी पाई जाती है तो विधिक रूप से उसका सम्पूर्ण दायित्व मेरा होगा। मैंने विहित लिखित-परीक्षा संबंधी अन्य आवश्यक सभी शर्तों, जो इस आवेदन-पत्र के भाग ख में दी गई हैं, भली प्रकार पढ़ ली हैं और मैं उनके पूर्ण पालन एवं बाध्यता हेतु स्वैच्छिक सहमति प्रकट करता/करती हूँ।

स्थान:

दिनांक:

मोबाइल/दूरभाष:

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर।

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु:

रोल-नंबर:

परीक्षा-स्थान:

स्वीकार / अस्वीकार

अस्वीकार करने के कारण:

जिला राजस्व अधिकारी,  
जिला सिरमौर, नाहन।

## भाग- ख

अन्य आवश्यक शर्तें:

1. आवेदक जिला सिरमौर, हिमाचल-प्रदेश का स्थाई निवासी, 01.01.2012 को 18 से 38 वर्ष की आयु का तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं योग्य होना चाहिए; अपंगता हेतु कोई नियुक्ति आरक्षण देय नहीं है।
2. निर्धारित आवेदन-पत्र एवं प्रवेश-पत्र पर आवेदक की पासपोर्ट आकार की नवीनतम फोटो लगी होनी चाहिए जो नियमानुरूप सत्यापित हों। परीक्षा-शुल्क संबंधी विवरण भाग क के बिन्दु 11 में वर्णित है।
3. आवेदन-पत्र समाहर्ता एवं उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन के कार्यालय में दिनांक 31.01.2012 सांय 5 बजे तक अवश्यमेव पहुंच जाने चाहिए; इसके बाद प्राप्त आवेदन-पत्रों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाएगा।
4. ऐसे आवेदन प्रथम दृष्ट्या ही, बिना किसी सूचना के अस्वीकृत कर दिए जाएंगे जो अधूरे हों, अस्पष्ट हों, निर्धारित पत्र पर न हों (इनके साथ प्राप्त परीक्षा-शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा), जिनके साथ आवश्यक परीक्षा-शुल्क का बैंक-ड्राफ्ट संलग्न न किया गया हो, प्रेषण लिफाफे पर कम मूल्य के डाक-टिकट लगाए गए हों अथवा निर्धारित तिथि व समय के बाद प्राप्त हुए हों।
5. एक आवेदक द्वारा एक से अधिक प्रेषित आवेदन-पत्रों में से केवल एक सही आवेदन ही मान्य होगा; शेष आवेदन-पत्र न केवल अस्वीकृत कर दिए जाएंगे बल्कि उनसे संबंधित परीक्षा-शुल्क भी वापिस नहीं किया जाएगा।
6. आवेदक को ₹5 के मूल्य वाला डाक-लिफाफा आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा जिस पर आवेदक का सही नाम व पता (जिस पर कार्यालय द्वारा रोल-नंबर लगा व्यक्तिगत प्रवेश-पत्र/(Call-Letter) प्रेषित किया जाना है) उसके द्वारा लिखा हो।
7. इस लिखित परीक्षा हेतु यात्रा अथवा ठहराव हेतु किसी भी प्रकार का कोई खर्चा अथवा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
8. लिखित परीक्षा जो 26.02.12(रविवार) को प्रातः 11 बजे आयोजित की जानी प्रस्तावित है, से संबंधित परीक्षा-कक्ष में समाहर्ता एवं उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन के कार्यालय द्वारा जारी किए गए व्यक्तिगत प्रवेश-पत्र/(Call-Letter) को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
9. लिखित-परीक्षा अंक-गणित(दसवीं के स्तर का), अंग्रेजी, हिन्दी तथा सामान्य-ज्ञान के प्रश्नों पर आधारित होगी।
10. संबंधित परीक्षा में कैलकुलेटर व मोबाइल मान्य नहीं होंगे।
11. लिखित-परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 50 प्रतिशत होंगे।
12. पात्र आवेदकों के चयन का आधार वर्णित लिखित प्रवेश-परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट/योग्यता-सूची (आरक्षण नीति के प्रावधानों सहित) होगी, कोई मौखिक-परीक्षा/साक्षात्कार आयोजित नहीं किया जाएगा।
13. आवेदन-पत्र के बिन्दु संख्या 7 से 10 के अनुरूप आवश्यक प्रमाणपत्रों की छायाप्रतियां आवेदक को वर्णित प्रवेश-परीक्षा उत्तीर्ण करने उपरांत (मूल प्रति के साक्ष्य सहित) प्रस्तुत करनी होंगी।
14. चयन उपरांत अभ्यर्थी को सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप डेढ़ वर्षीय पटवार-प्रशिक्षण अपने व्यय पर ग्रहण करना होगा।
15. वर्णित डेढ़ वर्षीय पटवार-प्रशिक्षण ग्रहण व विहित पटवारवृत्त-परीक्षा उत्तीर्ण करने उपरांत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों के अनुरूप, जिला में ग्रामीण राजस्व अधिकारी(पटवारी) पद पर आवश्यक अनुबंध नियमों के आधार पर (वर्तमान में ₹5910+₹1900=₹7810) अनुबंध आधार पर नियुक्ति दी जाएगी।
16. महिला आवेदक चयन के समय से लेकर प्रशिक्षण प्राप्त करने उपरांत पटवार-परीक्षा की तिथि के समापन तक गर्भधारण अवस्था में नहीं होनी चाहिए ताकि प्रशिक्षण में कोई व्यवधान न हो।

अन्य उपबिन्दु:

1. यह संपूर्ण आवेदन-प्रपत्र तीन पृष्ठीय है- भाग क मुख्य आवेदन प्रपत्र, भाग ग लिखित परीक्षा हेतु अनिवार्य व्यक्तिगत प्रवेश-प्रपत्र (Call-Letter) है, जबकि भाग ख में आवश्यक शर्तें उल्लेखित हैं।
2. यह तीन पृष्ठीय आवेदन-प्रपत्र निम्नांकित स्थानों से ₹5 के मूल्य पर प्राप्त किया जा सकता है:  
क) उपायुक्त कार्यालय, जिला सिरमौर, नाहन की प्रतिलिपि शाखा का फोटोस्टैट कक्ष;  
ख) उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) कार्यालय- राजगढ़ एवं पांवटा-साहिब;  
ग) जिला के सभी तहसील एवं उपतहसील कार्यालय।
3. यह तीन पृष्ठीय प्रपत्र, जिला सिरमौर, हि.प्र. की वेब-साइट <http://hpsirmaur.gov.in> पर भी उपलब्ध है।
4. इस तीन पृष्ठीय आवेदन-प्रपत्र की स्पष्ट छायाप्रति भी आवेदन-पत्र के रूप में स्वीकार की जाएगी।
5. किसी आवश्यक जानकारी हेतु कार्य-दिवस एवं कार्यालय समय में दूरभाष 01702-222463 पर संपर्क किया जा सकता है।
6. आवेदन-पत्र में संबंधित स्थानों पर, ऐसे मोबाइल अथवा दूरभाष नंबर को अंकित किया जा सकता है, जिस पर आवेदक से, आवश्यक होने पर संपर्क किया जा सके।

भाग- ग

कार्यालय समाहर्ता एवं उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन, हि.प्र. द्वारा जिला सिरमौर में पटवारी-प्रशिक्षणार्थियों के चयन हेतु आयोजित लिखित-परीक्षा(26.02.2012) हेतु अनिवार्य

व्यक्तिगत प्रवेश-पत्र / (Call-Letter)

केवल कार्यालय द्वारा भरा जाएगा:

1. परीक्षा-अनुक्रमांक (रोल-नंबर): परीक्षा का स्थान:
2. परीक्षा का दिनांक व समय: 26 फरवरी, 2012 (रविवार), प्रातः 11 बजे।

समाहर्ता एवं उपायुक्त,  
जिला सिरमौर, नाहन।

आवेदक द्वारा स्वयं भरा जाए:

1. आवेदक का नाम (हिन्दी व अंग्रेजी):
2. माता का नाम (हिन्दी व अंग्रेजी):
3. पिता का नाम (हिन्दी व अंग्रेजी):
4. घर (जिला सिरमौर, हि.प्र.) का स्थाई पता:
5. पत्राचार का पता:
6. पुरुष/महिला:
7. जन्म-तिथि (दसवीं के प्रमाणपत्र के अनुरूप):  
(आयु 01.01.2012 को 18 से 38 वर्ष)
8. यदि आवेदक रोजगार-कार्यालय में पंजीकृत है तो उसकी संख्या व तिथि:

पासपोर्ट  
आकार की  
सत्यापित  
नवीनतम फोटो  
चिपकाएं

मोबाइल/दूरभाष:

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर।

परीक्षा हेतु आवश्यक शर्तें:

1. परीक्षा-कक्ष में प्रवेश हेतु यह मूल व्यक्तिगत प्रवेश-पत्र (Call-Letter) अनिवार्य होगा।
2. पैन, गत्ता(Paper catch) परीक्षार्थी स्वयं साथ लाए।
3. कैलकुलेटर व मोबाइल मान्य नहीं होंगे।